बिहार सरकार
गृह विभाग
अधिसूचना

अ0नि0(01) 27/2018/स्था0..........., पटना, दिनांक .... भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–25 (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, बिहार अभियोजन हस्तक, 2003 में निम्नलिखित संशोधन तुरंत के प्रभाव से करते है :–

संशोधन

1. बिहार अभियोजन हस्तक, 2003 के नियम 36(ii) का सहायक अभियोजन पदाधिकारी के चयन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, यथा :–

सहायक अभियोजन पदाधिकारी के चयन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा के तीन चरण होंगे :–

(1) प्रारंभिक परीक्षा :– प्रारम्भिक परीक्षा के दो प्रश्न पत्र होंगे, जो निम्नांकित होगें :–

क्र0 सं0	पत्र	विषय	पूर्णांक
1	प्रथम पत्र	सामान्य अध्ययन	100
2	द्वितीय पत्र	विधि	150

प्रश्न पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। प्रारम्भिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जो बहुविकल्पों पर आधारित होगा, जिनमें से एक सही उत्तर होगा। प्रत्येक पत्र दो घंटे की अवधि का होगा, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काट लिये जायेंगे। प्रारम्भिक परीक्षा महज जाँच परीक्षा होगी, जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जायेगा। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतिम मेधा सूची में नहीं जोड़ा जायेगा।

इस परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नवत् होगा :–

(i) प्रथम पत्र – सामान्य अध्ययन – इस पत्र में सामान्य ज्ञान, (समसामयिक घटनाओं की जानकारी सहित), सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, भारतीय राज व्यवस्था तथा भूगोल के भी ऐसे प्रश्न पूछे जायेगें जिनका उत्तर उम्मीदवार बिना विशेष अध्ययन के भी दे सकते है।

(ii) द्वितीय पत्र – विधि– इस पत्र में भारतीय दण्ड संहिता, 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 एवं भारतीय संविधान के मौलिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न सम्मिलित होंगे।

(2) मुख्य परीक्षा :– मुख्य परीक्षा में निम्न पत्र होंगे:–

क्र0 सं0	पत्र	विषय	पूर्णांक
1	प्रथम पत्र	सामान्य अध्ययन	100
2	द्वितीय पत्र	हिन्दी भाषा	100
3	तृतीय पत्र	अंग्रेजी भाषा	100
4	चतुर्थ पत्र	भारतीय दण्ड संहिता, 1860	150
5	पंचम पत्र	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872	150
6	षष्ठम् पत्र	दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973	150
7	सप्तम पत्र	अन्य विधि	150

जिनमें विषय से संबंधित विवरणात्मक प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि तीन घंटे की होगी। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नवत् होगाः–

(i) **प्रथम पत्र – सामान्य अध्ययन** – इस पत्र में सामान्य ज्ञान, (समसामयिक घटनाओं की जानकारी सहित), सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, भारतीय राज व्यवस्था तथा भूगोल के भी ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे, जिनका उत्तर उम्मीदवार बिना विशेष अध्ययन के भी दे सकते हैं।

(ii) **द्वितीय पत्र – हिन्दी भाषा** – इस पत्र का स्तर वही होगा, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की माध्यमिक परीक्षा में चौथे वर्ग से लगातार हिन्दी का अध्ययन करने वाले परीक्षार्थियों के लिए अभिप्रेत हिन्दी का है। इस परीक्षा में उम्मीदवारों के सरल हिन्दी में अपने भावों को स्पष्टतः एवं शुद्ध–शुद्ध व्यक्त करने की क्षमता और परिचित विषयों पर हिन्दी की सहज बोध शक्ति की जाँच की जायेगी। इस पत्र के लिए न्यूनतम योग्यता प्रदायी अंक 30 होगा, जिसे नहीं प्राप्त करने पर उम्मीदवार को लिखित परीक्षा हेतु योग्यता प्राप्त नहीं माना जायेगा। इस पत्र के प्राप्तांक मेधा सूची में नहीं जोड़े जायेगें।

(iii) **तृतीय पत्र – अंग्रेजी भाषा** – इस परीक्षा में उम्मीदवारों के सरल अंग्रेजी में अपने भावों को स्पष्टतः एवं शुद्ध–शुद्ध व्यक्त करने की क्षमता और परिचित विषयों पर अंग्रेजी की सहज बोध शक्ति की जाँच की जायेगी। इस पत्र के लिए न्यूनतम योग्यता प्रदायी अंक 30 होगा, जिसे नहीं प्राप्त करने पर उम्मीदवार को लिखित परीक्षा हेतु योग्यता प्राप्त नहीं माना जायेगा। इस पत्र के प्राप्तांक मेधा सूची में नहीं जोड़े जायेगें।

(iv) **चतुर्थ पत्र – भारतीय दण्ड संहिता, 1860**

(v) **पंचम पत्र – भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872,**

(vi) **षष्ठम पत्र – दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973,**

(vii) **सप्तम पत्र – अन्य विधि**--इस पत्र में निम्नलिखित अधिनियमों से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे :–

(क) शस्त्र अधिनियम, 1959,
(ख) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908
(ग) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961
(घ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988
(ङ.) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
(च) पॉक्सो अधिनियम, 2012

टिप्पणी :– क्रमांक–(iv) से (vii) पर अंकित विषयों के प्रश्नों का स्तर वही होगा, जो पटना विश्वविद्यालय के विधि स्नातक परीक्षा के लिए निर्धारित है।

(3) साक्षात्कार :– साक्षात्कार हेतु 100 अंक निर्धारित होंगे। मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक तथा रिक्तियों की संख्या के आधार पर आयोग साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित करेगा।

आयोग मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर तैयार किये गये मेधा सूची के अनुसार सफल अभ्यर्थियों की कोटिवार अनुशंसा विभाग को उपलब्ध करायेगा।

2. संक्षिप्त भाग, विस्तार एवं प्रारम्भः–

(i) यह बिहार अभियोजन हस्तक संशोधन, 2019 कहा जा सकेगा।
(ii) इसका विस्तार पूरे बिहार राज्य में होगा।
(iii) यह तुरन्त प्रवृत होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/--
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव।

ज्ञापांक अ0नि0(01) 27/2018/स्था0........../ दिनांक ..../

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी0डी0 राईट कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं प्रकाशित गजट की 500 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/–
अपर सचिव।

ज्ञापांक अ0नि0(01) 27/2018/स्था0........../ दिनांक ..../

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग को सी0डी0 राईट कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त अधिसूचना को ई–गजट में प्रकाशित करें।

ह0/–
अपर सचिव।

ज्ञापांक अ0नि0(01) 27/2018/स्था0........../ दिनांक ..../

प्रतिलिपि– संयुक्त सचिव–सह–विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव।

ज्ञापांक अ0नि0(01) 27/2018/स्था0 1779 दिनांक 26/7/19

प्रतिलिपि– आई0टी0मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर सचिव।

Government of Bihar
Home Department

Notification

PRO.DIR.(01) 27/2018/Estt...................., Patna, Dated.........................

In exercise of powers conferred under proviso of Article 309 of Indian Constitution and section 25A of Criminal Procedure Code, The Governor of Bihar hereby made following amendments in Bihar Prosecution Manual, 2003 with immediate effect:-

Amendment

1. Syllabus regarding competitive examination for selection of assistant prosecution officer mentioned in Rule-36(ii) of Bihar Prosecution Manual, 2003 is substituted by follows:-

The competitive examination for selection of Assistant Prosecution Officer will be of three steps:-

(i) Preliminary examination:- It will consist two question paper and both have 100(one hundred) marks. The question paper will be in Hindi and English language. Both question paper will be objective and multi-optional. Each question paper will be for period of two hour in which 100(one hundred) question will be asked. One mark shall be given for every correct answer and ¼ (quarter) mark shall be deducted for every wrong answer. The preliminary examination will be only for test by which candidates will be short listed for main examination. So the marks obtained in preliminary examination will not be included to the marks obtained in main examination. It will be necessary to qualify in this examination and minimum qualifying marks will be decided by the commission.

Syllabus of preliminary examination will as follows:-

(i) First Paper- General Studies- This Paper include general knowledge (including current affairs), General Science, Indian History and Culture, Indian Polity and Geography. All questions related to above mentioned subject will be such type which may be answered without any special study.

(ii) Second Paper- Law- In this paper questions will be asked from Indian Penal Code 1860, Indian Evidence Act. 1872, Criminal Procedure Code 1973 and Fundamental Knowledge of Indian Constitution.

Jw

(2) Main Examination- It includes following papers

SL. No.	Paper	Subject	Maximum Marks
1	First Paper	General Studies	100
2	Second Paper	Hindi Language	100
3	Third Paper	English Language	100
4	Fourth Paper	Indian Penal Code, 1860	150
5	Fifth Paper	Indian Evidence Act, 1872	150
6	Sixth Paper	Criminal Procedure Code, 1973	150
7	Seventh Paper	Other Laws	150

Syllabus of main examination will be following and Questions related to subject will be subjective in nature and every paper will be for a period of three hours:-

(i) First Paper- General Studies- This Paper include general knowledge (including current affairs), General Science, Indian History and Culture, Indian Polity and Geography. All questions related to above mentioned subject will be such a type which may be answered without any special study.

(ii) Second Paper- Hindi Language- The level of this paper will be same as continuous study from Class fourth and above as per prescribed in Bihar School Examination Board. In this paper candidates are required to express their feelings correctly in easy Hindi on acquainted subject matters. In this paper minimum thirty marks is necessary to qualify. Qualified candidates in this paper will be eligible for written examination and the mark obtained in this paper will not be added in merit list.

(iii) Third Paper-English language- In this paper candidates are required to express his feelings correctly in easy English on acquainted subject matters. In this paper minimum thirty marks is necessary to qualify. Qualified candidates in this paper will be eligible for written examination and the mark obtained in this paper will not be added in merit list.

(iv) **Fourth Paper**- Indian Penal Code, 1860.
(v) **Fifth Paper-** Indian Evidence Act, 1872.
(vi) **Sixth Paper-** Criminal Procedure Code, 1973.
(vii) **Seventh Paper- Other Law-** In this paper questions will be asked from following Acts:-

- (a) **Arms Act, 1959.**
- (b) **Explosive Substance Act, 1908.**
- (c) **Dowry Prohibition Act, 1961.**
- (d) **Prohibition of Corruption Act, 1988.**
- (e) **Schedule Casts and Schedule Tribe (atrocities prohibition) Act, 1989.**
- (f) **Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.**

Note:- The level of questions in serial number (IV to VII) will be as prescribed in LL.B. Examination of Patna University.

(3) Interview- It will be of maximum 100 (One Hundred) Marks. The commission will decide the ratio of number of candidates on the basis of marks obtained in written examination and number of vacancies for which written examination has been conducted.

The commission will prepare the merit list of qualified candidates on the basis of total marks obtained in written examination and interview. Then the commission will send its recommendation of category wise qualified candidates to the Department.

2. Short title, extent and commencement:-

- (i) This may be called Bihar Prosecution Manual amendment 2019.
- (ii) It extends to the whole of Bihar State.
- (iii) It shall come into force with immediate affect.

By the order of The Governor of Bihar

Sd/-
(Pradip Kumar)
Addl. Secretary

Memo No. PRO.DIR.(01)27/2018/Estt..................Patna, Dated.....................

Copy forwarded to:- Superintendet Secretariat printing press, Guljarbag, Patna with C.D. right Copy with request to publish in extraordinary issue of Bihar gazette and provide 500 copies to this department.

Sd/-
Addl. Secretary

Memo No. PRO.DIR.(01)27/2018/Estt..................Patna, Dated.....................

Copy forwarded to:- Incharge Officer, e-gazette cell finace department with C.D. right Copy with request to publish above notification in e-gazette.

Sd/-
Addl. Secretary

Memo No. PRO.DIR.(01)27/2018/Estt..................Patna, Dated.....................

Copy forwarded to:- Joint secretary -com-spl. duty officer, Bihar Public service commission, Patna/ Principal secretary cabinet secretariat department, Bihar, Patna for information and necessary action.

Sd/-
Addl. Secretary

Memo No. PRO.DIR.(01)27/2018/Estt..1779...Patna, Dated..26/7/19

Copy forwarded to:- I.T. Manager, Home Department for information and necessary action.

26/7/19
Addl. Secretary